पत्रांक –सं0सं0–02 / उ0नि0 / विविध / 14–17 / 2017............

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषकः– **पंकज कुमार सिंह,**
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

वाणिज्य–कर आयुक्त –सह– प्रधान सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत वृहत् प्रक्षेत्र की ईकाइयों को वैट प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो0 नीति, 2011 के अंतर्गत उद्योग विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–1511 दिनांक–25.05.17 की कंडिका–5 के आलोक में वैट प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुलग्नक–I में ईकाइयों की सूची एवं मूल आवेदन पत्र संलग्न है। यह सभी आवेदन पत्र क्रम अनुसार Online प्राप्त किये गये हैं। आवंटनादेश संख्या–12 / आ0 दिनांक–29.05.2017 के आलोक में वैट की प्रतिपूर्त्ति की स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

(i) ईकाई द्वारा भुगतान किए गए कर की रेकर्ड (record) से जाँच कर एवं पूर्व में की गई प्रतिपूर्त्ति की जाँच वाणिज्य–कर विभाग द्वारा की जाएगी। भुगतान किए गए कर के जाँचोपरान्त निर्धारित अधिसीमा के अंतर्गत वैट प्रतिपूर्त्ति की राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।

(ii) ईकाई द्वारा भुगतान किए गए Advance tax पर वैट प्रतिपूर्त्ति का भुगतान देय नहीं होगा। Advance tax का सामंजन बकाये कर के विरूद्ध करने के पश्चात् जो वास्तविक कर का भुगतान होगा उसी के विरूद्ध ही प्रतिपूर्त्ति अनुमान्य होगा।

(iii) ईकाई को वैट की प्रतिपूर्त्ति करते समय यह ध्यान रखा जाय कि यह सुविधा उन्हीं ईकाइयों को देय है जो उत्पादन में हैं व कार्यरत है। तथा ईकाई जिस वस्तु के उत्पादन में है, उसी उत्पादित सामग्री पर जमा किए गए कर के विरूद्ध प्रतिपूर्त्ति किया जाय।

(iv) जो ईकाई Trading या Repacking का कार्य कर रही है, उन्हें वैट प्रतिपूर्त्ति देय नहीं होगा।

(v) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों / प्रमाण–पत्रों / अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि Public Demand Recovery Act के तहत वसूल कर ली जाएगी।

(vi) वैट प्रतिपूर्त्ति के रूप में भुगतान की गई राशि की सूचना अविलंब विभाग को दी जाएगी ताकि उद्योग विभाग का अभिलेख अद्यतन रखा जा सके।

(vii) उक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में उद्योग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1511, दिनांक–25.05.2017 एवं आवंटनादेश संख्या–12 / आ0 दिनांक–29.05.2017 के आलोक में तथा दिए गए सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

अनुलग्नक : यथोपरि।

ह0 / –
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

Vishwanath tion-2

ज्ञापांक—............. पटना, दिनांक.............

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक—3687 पटना, दिनांक 01.12.17

प्रतिलिपिः— वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— संबंधित महाप्रबंधक/संबंधित ईकाइयों/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

अनुलग्नक–I बृहत प्रक्षेत्र की ईकाइयों की सूची

Sl No	Vat Regd No & Circle	Claim for the Financial Year	Unit Name & Address	Total Investment	Total Refund Taken till date	Claimed Amount of refund	Proposed Adjustment
17	10010949063 Patna Special	2014-15 To 2017-18	Bihar Cement Plant (A Unit of Shree Cement Limited), BIADA Industrial Growth Center, Aurangabad	5465379369	1971391138	906457978	313951371

30/11/17
उप उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

30/11
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

अनुलग्नक–I बृहत प्रक्षेत्र की ईकाइयों की सूची

Sl No	Vat Regd No & Circle	Claim for the Financial Year	Unit Name & Address	Total Investment	Total Refund Taken till date	Claimed Amount of refund	Proposed Adjustment 25% of Claim
150	10532057082	2013-14 to 2016-17	**JVL RICE MILLS, JORABARPUR, BAANK, AKORHI GOLA, DEHRI ON SONE, ROHTAS**	283700000	0	3179232	794808

उप उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना